

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 1144/22/वि-12/ग्रासप्रा/Maint-2/19

भोपाल, दिनांक 12/03/2020

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
म.प्र.अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड,
संचालनालय कार्यालय, नगरीय प्रशासन,
भोपाल,

विषय:- म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जल प्रदाय/मल-जल योजनाओं की पाईप लाइन रोड के किनारे बिछाने/रोड क्रॉस करने के अनुमति के संबंध में बैठक।

संदर्भ:-आपका पत्र क्र. 1780 दिनांक 02/03/2020।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 07/03/2020 को संचालनालय कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्णय किया गया था कि MPUDCL की योजनाये जहां भी प्रगतिरत है एवं MPRRDA द्वारा निर्मित मार्ग में पाइप लाइन को रोड के समानान्तर बिछाने या रोड क्रॉस करने संबंधी अनुमति की आवश्यकता है। ऐसे प्रकरणों में MPUDCL आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र A & B में जानकारी अंकित कर अनुमति हेतु महाप्रबंधकों को प्रेषित करेंगे।

अतः कृपया अपने अधिनस्त अधिकारियों को निर्देशित करें की संलग्न प्रपत्र-A में जानकारी एवं प्रपत्र-B में [लाइन डाइग्राम संपूर्ण जानकारी] अंकित करते हुए संबंधित महाप्रबंधक को प्रस्तुत करें, ताकि महाप्रबंधक अपने स्तर में अनुमति संबंधी कार्यवाही कर सकें।

संलग्न: प्रपत्र- A एवं B।

(पी.के.निगम)

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल

पृ.क्र. 1145/22/वि-12/ग्रासप्रा/Maint-1/20

भोपाल, दिनांक 17/03/2020

प्रतिलिपि:

महाप्रबंधक (समस्त)....., म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, की ओर प्रपत्र A एवं B भेजकर निर्देशित किया जाता है कि योजना जनहितकारी है अतः MPUDCL में निर्धारित प्रपत्रों A एवं B में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत कार्यलयीन पत्र क्र. 1047 दिनांक 20/01/2020 में जारी निर्देशों अनुसार कार्यवाही करें।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

भोपाल

* May be given from sigh board

